

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छ.ग.)

क्र. 1306./स्वा.वि/न.पा.नि./2022,

रायगढ़ दिनांक 26.9.22

भावपत्र आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम रायगढ़ स्थित समस्त मणिकंचन केन्द्रों में उपलब्ध निम्नांकित प्रकार के सूखे कचरे के सामग्रियों का विक्रय किया जाना है:-

- | | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| 1. कलर पुट्टा | 9. कार्टून | 17. टिना |
| 2. सफेद पन्नी | 10. डीस्पोजल | 18. कॉपर वायर |
| 3. पानी बोतल | 11. पाव बोतल | 19. बियर बाटल |
| 4. कांच | 12. प्लास्टिक बोरी | 20. पेपर |
| 5. टायर | 13. थर्माकोल | 21. कलर प्लास्टिक/पन्नी |
| 6. खाकी पुट्टा | 14. काला पन्नी | 22. इलेक्ट्रानिक वेस्ट |
| 7. रस्सी | 15. स्टील | 23. लोहा |
| 8. ऐल्यूमिनियम | 16. तांबा | 24. अन्य। |

नगर पालिक निगम रायगढ़ के मणिकंचन केन्द्रों में स्वच्छता दीदीयों द्वारा कबाड़ के रूप में प्रतिदिन निकलने वाले सूखे कचरा का विक्रय किया जाना है जिसकी सूची संलग्न है उक्त सूखे कचरे के रूप में प्राप्त सामग्रियों के इच्छुक क्रेता संस्थानों से प्रति किलोग्राम के मान से दर दिनांक 17/10/2022 को समय शाम 4:00 बजे तक रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट डॉक के माध्यम से भावपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। भावपत्र दिनांक 17/10/2022 के समय 4:30 बजे सक्षम अधिकारी के द्वारा खोला एवं उच्चतम दर वाले संस्थान का दर स्वीकृत किया जायेगा एवं यह दर 12 माह अवधि तक के लिए मान्य होगा। उक्त दर आमंत्रण से संबंधित अन्य नियम-शर्तें कार्यालयीन अवधि में नगर पालिक निगम रायगढ़ कार्यालय के स्वास्थ्य विभाग में अवलोकन अथवा निगम के वेब साइट <http://nagarnigamraigarh.com> से डाउनलोड की जा सकती है।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

क्र. 1306./स्वा.वि/न.पा.नि./2022,

प्रतिलिपि :-

रायगढ़ दिनांक 26.9.22

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायगढ़, के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छ.ग.)

कबाड सामाग्री की सूची :-

नाम :- पता :-
..... मोबाईल नंबर :-

क्रमांक	सामाग्री का नाम	ईकाई	दर
01	कलर पुट्टा	प्रति किलों	
02	सफेद पन्नी	प्रति किलों	
03	पानी बोतल	प्रति किलों	
04	कांच	प्रति किलों	
05	टायर	प्रति किलों	
06	खाकी पुट्टा	प्रति किलों	
07	रस्सी	प्रति किलों	
08	एल्यूमिनियम	प्रति किलों	
09	कार्टून	प्रति किलों	
10	डिस्पोजल	प्रति किलों	
11	पाव बोतल	प्रति किलों	
12	प्लास्टिक बोरी	प्रति किलों	
13	थर्माकोल	प्रति किलों	
14	काला पन्नी	प्रति किलों	
15	स्टील	प्रति किलों	
16	तांबा	प्रति किलों	
17	टीना	प्रति किलों	
18	काँपर वायर	प्रति किलों	
19	बियर बाटल	प्रति किलों	
20	पेपर	प्रति किलों	
21	कलर प्लास्टिक / पन्नी	प्रति किलों	
22	इलेक्ट्रानिक वेस्ट	प्रति किलों	
23	लोहा	प्रति किलों	
24	अन्य	प्रति किलों	



आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छ.ग.)

कबाड़ सामाग्री विक्रय के नियम शर्त की सूची :-

1. फर्म का जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा जी०एस०टी० जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. फर्म का पेन कार्ड की छाया प्रति स्व-प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।
3. फर्म का छ.ग. शासन के सक्षम कार्यालय द्वारा जारी लायसेंस की छायाप्रति स्व-प्रमाणित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. प्रस्तुत दर सुस्पष्ट होनी चाहिए किसी प्रकार की काट-छाट स्वीकार योग्य नहीं होगा।
5. विक्रय सामाग्री जिस स्थाना पर है, उस स्थान से ही एक सप्ताह के अन्दर सामाग्री को उठाना अनिवार्य होगा। समय पर उठाव नहीं होने से स्थल कीराया देना होगा।
6. अमानत राशि ...3000/-..... का टी०डी०आर० प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय होना चाहिए।
7. आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।



आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)